रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 361] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 1977/कार्तिक 18, 1899
No. 361] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 1977/KARTIKA 18, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF INDIA

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 9th November 1977

G.S.R 694(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 33 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) the Central Government hereby makes with effect from the day following the expiration of sixty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, the following alterations in the First Schedule to the said Act, namely:—

"In Part II of the First Schedule to the said Act, in the entry relating to the Port of Visakhapatnam in column 3, for the words "Rupee one and paise fifty", wherever they occur, the words "Rupees five' shall be substituted."

[No F PGR-109/77-I]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1977

सा० का० नि० 694(अ)—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 33 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की समाप्ति के पश्चात्-वर्ती दिन से, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची मे निम्नलिखित परिवर्तन करती है, अर्थात् –

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 2 मे, विशाखापटनम से सम्बन्धित प्रविष्टि में, स्तम्भ 3 में, "एक रुपया पचास पैसे", शब्दो के स्थान पर जहां कही वे आए हो, "पांच रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

[सं० फा० पी० जी० आर०–109/77-I]

G.S.R. 695(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 read with section 34 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby directs that with effect from the day following the expiration of sixty days from the date of publication of this notification in the official Gazette the following amendments shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. GSR-933(E), dated the 20th December, 1976, relating to the levy of port dues at the Port of Visakhapatnam, namely:—

1. In the Schedule to the said notification,

(a) in column (2) for the figures "1 50", wherever they occur, the figures "1 73" shall be substituted,

(b) in note 4, for the letters and figures "Re. 1/-", the letters and figures "Rs. 1 15" shall be substituted

[No. F. PGR-109/77-II]

सा० का० नि० 695(अ)—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 34 के साथ पठित धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की समाप्ति के पश्चात्वर्ती दिन से विशाखापत्तनम पत्तन मे पत्तन शुल्क के उद्ग्रहण से सम्बन्धित भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 933–(अ), तारीख 20 दिसम्बर, 1976 मे निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् —

1 उक्त अधिसूचना की अनुसूची मे,—

(क) स्तम्भ (2) म, अंक "1 50" के स्थान पर, जहां कही वे आए हों अंक, "1.73" रखे जाएंगे;

(ख) टिप्पण 4 मे, अक्षर और अंक "1 रु०" के स्थान पर अक्षर और अंक "1 15 रु०" रखे जाएंगे।

[सं फा० पी० जी० आर०-109/77-II]

G.S.R. 696(E)—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following order to amend the Port of Visakhapatnam Pilotage and Other Services (Fees) Order, 1976, namely —

1. **Short title and commencement.**—(1) This order may be called the Port of Visakhapatnam Pilotage and Other Services (Fees) Amendment Order, 1977.

(2) It shall come into force at once

2 In the Port of Visakhapatnam Pilotage and Other Services (Fees) Order, 1976,—

(a) in clause 3,—

(i) for sub-clauses (1), (2) and (3), the following shall be substituted, namely:—

"(1) Detention Fees—If a vessel is not ready to sail within one hour of hoisting the Pilot Jack detention charges shall be levied as under:—

(a) First hour	Free	
(b) Next half-an hour		
(i) Vessels handling cargo of 1500 tonnes or less	Rs 1330·00	
(ii) Vesssels handling cargo of above 1500 tonnes	Rs 1600·00	
(c) Thereafter		
(i) Vessels handling cargo of 1500 tonnes or less	Rs.	2660·00 per hour or part thereof.
(ii) Vessels handling cargo of above 1500 tonnes	Rs.	3200·00 per hour or part thereof.

(2) If a vessel is not ready to shift within one hour of hoisting 'S' flag, detention charges shall be levied as under :

(a) First hour	Free	
(b) Next half-an hour		
(i) Vessels handling cargo of 1500 tonnes or less	Rs 1330 00	
(ii) Vessels handling cargo of above 1500 tonnes	Rs. 1600·00	
(c) Thereafter		
(i) Vessels handling cargo of 1500 tonnes or less,	Rs. 2660·00	per hour or part thereof
(ii) Vessels handling cargo of above 1500 tonnes	Rs 3200·00	per hour or part thereof

(3) If a vessel is not ready to enter within half-an hour of the Pilot boarding the vessel, the detention charges shall be levied as under :—

(a) First half-an-hour	Free	
(b) Next half-an-hour		
(i) Vessels handling cargo of 1500 tonnes or less	Rs 1330 00	
(ii) Vessels handling cargo of above 1500 tonnes.	Rs 1600 00	
(c) Thereafter		
(i) Vessels handling cargo of 1500 tonnes or less	Rs.	2660·00 per hour or part thereof.
(ii) Vessels handling cargo of over 1500 tonnes	Rs 3200 00	per hour or part thereof.""

(ii) in sub-caluse 4, for the letters and figures "Rs 3465·00" and "Rs. 4155·00", the letters and figures "Rs 4000 00" and "Rs 4800·00" shall, respectively, be substituted;

(iii) in sub-clause 5, for the letters and figures "Rs 92·40" and "Rs. 110·80", the letters and figures "Rs. 105·00" and "Rs 125·00" shall, respectively, be substituted;

(b) for the Schedule, the following shall be substituted, namely,—

"THE SCHEDULE

(*See clause* 3)

FEES FOR PILOTAGE, MOORING, RE-MOORING AND UNMOORING

Sl. No	Description of the Vessel	Rate of Fee
(1)	(2)	(3)
	A. *Vessels Entering Outer Harbour*	
1.	All mechanically propelled vessels except sailing vessels not exceeding 500 tons of Net Registered tonnage	Rs. 5·20 per ton of Net Registered Tonnage per vessel inclusive of towage, mooring and unmooring operation charges with the use of one, two or three tugs but subject to levy of Rs 1772·00 per hour or part thereof for use of each additional tug where the Conservator of the Port is of the opinion that its use is necessary
2.	Vessels other than specified at item I above when services of Pilot is actually made use of	Rs. 750·80 per vessel.
	B *Vessels entering the rest of the Harbour*	
1.	All mechanically propelled vessels engaged in foreign trade except sailing vessels not exceeding 500 tons of Net Registered Tonnage:	
	(1) Vessels handling cargo 1500 tonnes or less.	(a) Rs. 175·00 per hundred tons of Net Registered Tonnage with the minimum charge of Rs 875 00 per vessel engaged in foreign trade inclusive of towage, pilotage, mooring, re-mooring and unmooring operation charges with the use of one or two tugs, but subject to levy of Rs. 1700·00 per hour or part thereof for use of a third tug where the Conservator of the Port is of the opinion that its use is necessary. (b) Rs 135 00 per hundred tons of Net Registered Tonnage with the minimum charge of Rs 675 00 per vessel engaged in the coastal trade inclusive of towage and also mooring, remooring and unmooring operation charges with the use of one or two tugs but subject to the levy of Rs. 1700 00 per hour or part there of for the use of the third tug where the Conservator of the Port is of the opinion that its use is necessary
	(2) All mechanically propelled vessels except sailing vessels handling cargo of above 1500 tonnes.	(a) Rs. 210 00 per hundred tons of Net Registered Tonnage with the minimum charge of Rs 1050·00 per vessel engaged in foreign trade inclusive of towage and also pilotage, mooring, re-mooring and unmooring operation charges with the use of one or two tugs but subject to a levy of Rs 2040 00 per hour or part there of for the use of third tug where the Conservator of the Port is of the opinion that its use is necessary.

(1)	(2)	(3)
		(b) Rs. 160 00 per hundred tons Net Registered Tonnage with the minimum charge of Rs 800·00 per vessel engaged in the coastal trade inclusive of towage as also pilotage, mooring, remooring and unmooring operation charges with the use of one or two tugs but subject to a levy of Rs 2040 00 per hour or part thereof for the use of a third tug where the Conservator of the Port is of the opinion that its use is necessary
2	Vessels other than specified at item I when services of Pilot is actually made use of	Rs 750 00 per vessel"

[No F. PGR-109/77-III]

V R MEHTA, Jt. Secy

सा० का० नि० 696(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशाखापत्तनम यानमार्ग नयन तथा अन्य सेवाएं (फीस) आदेश, 1976 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विशाखापत्तनम यानमार्ग नयन तथा अन्य सेवाएं (फीस) आदेश, 1977 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त हो जाएगा ।

2. विशाखापत्तनम यानमार्ग नयन तथा अन्य सेवाएं (फीस) आदेश, 1976 में,—

(क) खण्ड 3 में,—

(i) उपखण्ड (1), (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) जलयान को रोके रखने की फीस—यदि कोई जलयान पायलट जैक फहराने के एक घंटे के पश्चात् प्रस्थान करने के लिए तैयार नहीं है तो उसे रोकने के प्रभार निम्नानुसार उद्गृहीत किए जाएंगे :—

(क) पहला घंटा . . . . नि.शुल्क

(ख) दूसरा आधा घंटा—

(i) जलयान जो 1500 टन या उस से कम के स्थोरा को धरता-उठाता है . . 1330 00रु०

(ii) जलयान जो 1500 टन से अधिक स्थोरा को धरता-उठाता है . . . . 1600.00रु०

(ग) उसके पश्चात्

(i) जलयान जो 1500 टन या उससे कम के स्थोरा को धरता-उठाता है . . . 2660.00 रु० प्रति घटा या उसके भाग के लिए ।

(ii) जलयान जो 1500 टन से अधिक के स्थोरा को धरता-उठाता है . . . 3200.00 रु० प्रति घंटा या उसके भाग के लिए ।

(2) यदि कोई जलयान ऐसे ध्वज के फहराए जाने के एक घंटे के भीतर स्थानान्तरण के लिए तैयार नही है तो उसे रोकने के प्रभार निम्नानुसार उद्गृहीत किए जाएंगे :—

(क) पहला घटा . . . . नि शुल्क

(ख) दूसरा आधा घटा—

(i) जलयान जो 1500 टन या उससे कम के स्थोरा को धरता-उठाता है . 1330.00 रु०

(ii) जलयान जो 1500 टन से अधिक के स्थोरा को धरता-उठाता है . . 1600.00 रु०

(ग) उसके पश्चात्

(i) जलयान जो 1500 टन या उस से कम के स्थोरा को धरता-उठाता है . . . 2660 00 रु० प्रति घंटा या उसके भाग के लिए ।

(ii) जलयान जो 1500 टन से अधिक के स्थोरा को धरता-उठाता है . . 3200.00 रु० प्रति घंटा या उसके भाग के लिए ।

(3) यदि कोई जलयान पायलट के जलयान पर सवार हो जाने के आधे घंटे के भीतर प्रवेश करने के लिए तैयार नही है तो उसे रोकने के प्रभार निम्नानुसार उद्गृहीत किए जाएगें —

(क) पहला आधा घटा . . नि शुल्क

(ख) अगला आधा घंटा—

(i) जलयान जो 1500 टन या उससे कम के स्थोरा को धरता-उठाता है . . . 1330.00 रु०

(ii) जलयान जो 1500 टन से अधिक के स्थोरा को धरता-उठाता है . . . . 1600.00 रु०

(ग) उसके पश्चात्

(i) जलयान जो 1500 टन या उससे कम के स्थोरा को धरता-उठाता है . . . . 2660.00 रु० प्रति घंटा या उसके भाग के लिए ।

(ii) जलयान जो 1500 टन से अधिक के स्थोरा को धरता-उठाता है . . . 3200.00 रु० प्रति घंटा या उसके भाग के लिए ।"

(ii) उपखण्ड 4 मे, अक्षरों और अको "3465" और "4155" के स्थान पर क्रमश. अक्षर और अक, "4000 00 रु०" और "4800 00 रु०" रखे जाएंगे;

(iii) उपखण्ड 5 में, अक्षरो और अंको "92 40 रु०" और "110.80 रु०" के स्थान पर क्रमश "105 00 रु०" और "125 00 रु." रखे जाएंगे,

(ख) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

"अनुसूची

(खण्ड 3 देखिए)

यानमार्ग नयन, मूरिंग करने, पुन मूरिंग करने और मूरिंग खोलने की फीस

क्र० सं०	जलयान का विवरण	फीस की दर
1	2	3
	क बाहरी बन्दरगाह मे प्रवेश करने वाले जलयान	
1.	यंत्र नोदित सभी जलयान, सिवाय पाल जलयानो के जो शुद्ध रजिस्ट्रीकृत टन भार के 500 टन से अधिक के न हो ।	प्रति जलयान शुद्ध रजिस्ट्रीकृत टन भार का प्रति टन 5 20 रु० जिसमे 1, 2 या 3 टगो के प्रयोग से नाव खिचाई (टोवेज), मूरिंग करना और मूरिंग खोलना भी सम्मिलित है, किन्तु इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक अतिरिक्त टग के प्रयोग के, जहा पत्तन परिरक्षक की राय हो कि इसका उपयोग आवश्यक है, प्रति घटा या उसके भाग के लिए 1772 80 रुपए उद्गृहीत किया जाय ।
2	उपरोक्त मद—1 मे विनिर्दिष्ट जलयानो मे भिन्न जलयान जब पाइलट की सेवा का वस्तुत: उपयोग किया जाए ।	750 80 रु० प्रति जलयान ।

1	2	3
	ख बन्दरगाह के शेष भाग मे प्रवेश करने वाले जलयान	
1	पाल जलयान के सिवाय सभी यंत्रनोदित जलयान जो विदेश व्यापार मे लगे है और जिनका शुद्ध रजिस्ट्रीकृत टन भार 500 टन से अनधिक है—	
	(1) ऐसे जलयान जो 1500 टन या उससे कम के स्थोरा को धरते-उठाते है,	(क) विदेश व्यापार मे लगे जलयानों के लिए 875.00 रु० प्रति जलयान न्यूनतम प्रभार सहित शुद्ध रजिस्ट्रीकृत टन भार के प्रति सौ टन 175.00 रु० जिसमे एक या दो टगो के साथ नाव खिचाई (टोवेज), यानमार्ग नयन, मूरिंग करने, पुन मूरिंग करने और मूरिंग खोलने से सम्बन्धित संक्रिया के प्रभार सम्मिलित है, किन्तु इस शर्त के अधीन कि जहां पत्तन परिरक्षक की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक है वहा तीसरे टग के उपयोग के लिए प्रति घटा या उसके भाग के लिए 1700.00 रु० उद्गृहित किया जाएगा । (ख) तटीय व्यापार मे लगे जलयानो के लिए 675.00 रु० प्रति जलयान न्यूनतम प्रभार सहित शुद्ध रजिस्ट्रीकृत टन भार के प्रति सौ टन 135 00 रु० जिसमे एक या दो टगो के उपयोग से नाव खिचाई (टोवेज), मूरिंग करने, पुन मूरिंग करने और मूरिंग खोलने मे सम्बन्धित संक्रिया के प्रभार भी सम्मिलित है, किन्तु इस शर्त के अधीन कि जहा पत्तन परिरक्षक की यह राय हो कि इसका उपयोग आवश्यक है वहा तीसरे टग के प्रयोग के लिए प्रति घटा या उसके भाग के लिए 1700 00 रु० उद्गृहीत किया जाएगा ।
	(2) 1500 टन से अधिक स्थोरा धरने-उठाने वाले पाल-जलयान के सिवाय सभी यंत्रनोदित जलयान ।	(क) विदेश व्यापार मे लगे हुये जलयानो के लिए 1050 00 रु० प्रति जलयान न्यूनतम प्रभार सहित शुद्ध रजिस्ट्रीकृत टन भार के प्रति सौ टन 210.00 रु०, जिसमे एक

1	2	3
		या दो टगों के साथ नाव खिचाई (टोवेज) और यान मार्ग नयन, मूरिंग करने, पुन. मूरिंग करने और मूरिंग खोलने से सम्बन्धित सक्रिया के प्रभार भी है, किन्तु इस शर्त के अधीन कि जहा पत्तन परिरक्षक की राय हो इसका प्रयोग आवश्यक है वहा तीसरे टग के प्रयोग के लिए एक घटा या उसके भाग के लिए 2040 00 रु० उद्गृहीत किया जाएगा । (ख) तटीय व्यापार मे लगे हुये प्रति जलयान के लिए 800.00 रु० प्रति जलयान न्यूनतम प्रभार सहित शुद्ध रजिस्ट्रीकृत टन भार के प्रति सौ टन 160 00 रु० जिसमे एक या दो टगों के साथ नाव खिचाई (टोवेज) और यानमार्ग नयन, मूरिंग करने, पुन: मूरिंग करने और मूरिंग खोलने मे सम्बन्धित सक्रिया के प्रभार भी है, किन्तु इस शर्त के अधीन कि जहा पत्तन परिरक्षक की राय हो कि इसका उपयोग आवश्यक है वहां तीसरे टग के उपयोग के लिए एक घटा या उसके भाग के लिए 2040 00 रु० उद्गृहीत किया जाएगा ।
2. मद 1 में विनिर्दिष्ट जलयान से भिन्न जलयान जब पाइलट की वास्तविक सेवा का उपयोग किया जाए ।		प्रति जलयान 750 80 रु० ।

[स० फा० पी०जी०आर० 109 77-III]

वीरेन्द्र राज मेहता, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1977